प्रेस नोट 22.11.2020

<u>दिनांक 12.11.2020 को थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत फिनों पेमेन्ट बैक शाखा संचालक से हुयी लूट का हुआ सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में 06 अर्न्तजनपदीय शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट का एक थम्ब स्कैनर, कागजात, 34 हजार रुपये,</u>

<u>दो तमंचा व कारतूस एवं 03 मोटरसाईकिल बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी श्री धनन्यज मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 21.11.2020 को थाना घोसी पुलिस व स्वाट टीम प्रथम, स्वाट टीम द्वितीय को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कि, नदवा सराय की ओर से घोसी की तरफ कुछ संदिग्ध व्यक्ति तीन वाहनों पर सवार होकर आ रहे है। इस सूचना पर समन्वय स्थापित करते हुए नदवा सराय रोड पर फोरलेन ओवरब्रिज मिर्जाजमालपुर के पास घेराबंदी कर उक्त तीनों मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायर करते हुये पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये 06 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इस दौरान दो व्यक्ति मो0साईकिल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान उक्त व्यक्तियों के कब्जे से 02 अदद तमंचा व 02 जिंदा/खोखा कारतूस, लूट के 34 हजार रुपये व तीन मो0साईकिल बरामद किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि–

दिनांक 12.11.2020 को बोझी गांव के फिनों बैक शाखा संचालक रामजनम यादव जो बोझी बाजार से दुकान बन्द कर घर टकटउवा रामपुर जा रहे थे रास्ते में हम लोगों ने कट्टा सटाकर डिग्गी में रखा पैसा व समान लूटकर पैदल ही भाग गये थे। हम लोगें के गैंग का सरगना संतोष यादव उर्फ अर्जुन यादव पुत्र भज्जन यादव निवासी मुस्कुरा थाना घोसी है। उसके द्वारा लूट की योजना बनायी गयी थी। फिनो बैक शाखा संचालक की पहचान संतोष यादव द्वारा दिनेश यादव को कराया गया तथा बताया गया कि शाखा संचालक दुकान बन्द कर घर की तरफ चलेगें तभी मोबाइल से हम लोगों को सूचना देना। यह कह कर संतोष घटना स्थल पर चला गया जबकि प्रदीप यादव मोटरसाइकिल लेकर भागने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पास खडे थे तथा घटना स्थल पर भोला यादव, पंकज यादव पुत्र स्व0 रामवृक्ष, सोनू यादव, संतोष यादव, उपेन्द्र यादव एवं पंकज यादव पुत्र चन्द्रिका मौजूद थे। जब शाखा संचालक रामजनम यादव अपनी दुकान बन्द कर अपनी मोटरसाइकिल से घर जाने लगा तभी दिनेश मोबाइल नम्बर 9005841254 से पंकज यावद पुत्र रामवृक्ष के मोबाइल नम्बर 9005039696 पर सूचना दिया। सूचना देने के बाद घटना स्थल पर मोजूद सभी लोगों ने मिलकर उक्त घटना का अंजाम देते हुए भाग गये तथा रास्ते में झोलें से पैसा निकालकर हम लोग आपस में बाट लिये एवं उसमे जो समान रखा था उसको वही गन्ने के खेत में फेक दिये। तत्पश्चात उनकी निशानदेही पर वादी से लूटे गये थम्ब स्कैनर, वाहन का आरसी/डीएल एवं चार प्लान बुक बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.11.2020 को थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 921/20 धारा 323,504,506,395 भादवि0 पंजीकृत किया गया था जिसके अतिशीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 04 पुलिस टीमें गठित कर कड़े दिशा–निर्देश दिये गये थे।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–</u>

1. सोनू यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव निवासी ड़िधवनियॉ मझौआ थाना जियनपुर आजमगढ़।
2. पंकज यादव पुत्र चद्रिका यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि बभनौली थाना घोसी मऊ।
3. भोला यादव उर्फ अरविन्द उर्फ सौरभ पुत्र मुसाफिर यादव निवासी बोझी थाना घोसी मऊ।
4. पंकज यादव पुत्र स्व0 रामवृक्ष यादव निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़।
5. दिनेश यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव निवासी दाउदपुर थाना जियनपुर आजमगढ़।
6. प्रदीप यादव पुत्र अम्बिका यादव निवासी नुरपुर सरायहाजी थाना मुबाकरकपुर आजमगढ़।

बरामदगी–

1. लूट का एक थम्ब स्कैनर।
2. लूट के 34 हजार रूपये नगद।
3. एक अपाचे मोटरसाइकिल सफेद रंग बिना नम्बर प्लेट इंजन नम्बर OE6LF2172196
4. एक सुपर स्प्लेण्डर काला रंग बिना नम्बर प्लेट इंजन नम्बर JA05EGJ9A08390
5. एक बजाज डिस्कवर नम्बर यूपी 50 एन 0337
6. दो तमंचा मय दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस।
7. वादी के गाडी का रजिस्ट्रेशन पेपर
8. एक अदद वादी का ड्राइवरी लाइसेंस

फरार अभियुक्तगण–

1. संतोष यादव उर्फ अर्जुन यादव पुत्र भज्जन यादव निवासी मुस्कुरा थाना घोसी
2. उपेन्द्र यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी पिउवाताल थाना घोसी मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री कुमुद शेखर सिंह, प्रभारी निरीक्षक घोसी, उ0नि0 प्रदीप मिश्रा, उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव मय टीम थाना घोसी जनपद मऊ।
2. निरीक्षक श्री अविनाश सिंह प्रभारी एसओजी, मय टीम जनपद मऊ।
3. निरीक्षक श्री राजेश यादव, प्रभारी स्वाट टीम मय टीम जनपद मऊ।
4. निरीक्षक श्री डी0के0 चौधरी, प्रभारी साइबर सेल मय टीम जनपद मऊ।
5. का0 विवेक सिंह, का0 संजय सिंह (सर्विलांस टीम)।

उक्त गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 25 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत गन्ने के खेत में मिले युवती के शव मिलने की घटना से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पलिया आटो स्टैंड के पास से मु0अ0सं0 418/20 धारा 302,201 भादवि में वांछित अभियुक्तगण राम सिंह चौहान व जय सिंह चौहान पुत्रगण रामअवध चौहान, सीमा देवी पत्नी राम सिंह, रामअवध पुत्र स्व0 जगपाल चौहान निवासीगण भुसुवा थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी राम अशीष चौहान निवासी भुसुवा थाना रानीपुर मऊ द्वारा दिनांक 18. 11.2020 को अपनी पुत्री के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में प्रार्थना दिया गया था, जिस पर थाना रानीपुर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर कार्यवाही की जा रही थी कि दिनांक 19.11.20 को उक्त युवती का शव पास में ही गन्ने के खेत में मिला। तत्पश्चात वादी की तहरीर के आधार पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 418/20 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उपरोक्त राम सिंह द्वारा बताया गया कि मेरा भाई जय सिंह का मृतका से प्रेम प्रसंग चल रहा था, मैने अपने भाई की शादी कहीं और तय कर दी थी तथा शादी की तिथि 29 नवंबर को निर्धारित थी। मृतका नही चाहती थी कि मेरे भाई की शादी कहीं और हो, दिनांक 15.11.2020 को रात्रि मेरे भाई से मिलने घर में आ गयी थी तथा इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे, इसी दौरान हम लोग मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दिये तथा लाश को दुर्गविजय के गन्ने के खेत में छिपा दिये थे। पुनः दिनांक 16.11.20 को लाश को दूर ले जाकर रुदल यादव के गन्ने के खेत में छिपा दिये थे।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार–

दिनांक 21.11.2020 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मटमेलपुर पुलिया के पास से सहाबल यादव पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी देवनाथपुर थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 713/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 16 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 22.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा उपेन्द्र, श्रीप्रकाश, मूरली निवासीगण मऊकुबेर थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा रविकान्त निवासी थाना घोसी, धनश्याम निवासी थाना मधुबन, मनोज सिंह निवासी थाना कोपागंज, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वजीर अहमद, सुहेल अंसारी, खलील, मुस्तकीम, शकील, जमीर अहमद निवासीगण वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा हरि राजभर, मोतीराम, रामचन्द्र, लक्ष्मण निवासीगण ब्राह्मणटोला थाना रानीपुर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से छह मामलों का हुआ निस्तारण, दंपति साथ साथ रहने को हुए राजी–

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुशील घुले के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मधुबन राजकुमार सिंह के देखरेख में हुआ। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 25 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से छह मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें एक मामले मे पक्षकारों ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गया। वहीं दो मामलों में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई । इस दौरान दो मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। बैठक मे नौ मामलों में एक– एक पक्ष तथा आठ मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि छह दिसंबर नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से पूजा सिंह और अजय कुमार ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वही सुषमा देवी और काशीनाथ आदि के बीच में चल रहे मामले को सुलह समझौता से निस्तारित कर दिया गया। सुनीता और जयप्रकाश के मामले में भी पक्षकारों के बीच वार्ता कराकर सामान वापस करने की बात पर सुलह हुआ। तथा अनुराधा और अखिलेश के मामले में पीड़िता के अनुरोध पर पत्रावली निस्तारित कर दी गई। इस दौरान कौशल्या और मनीष तथा प्रियंका कुमारी और अजय कुमार गौतम के मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान सुमित्रा और रामशीष, सहाना और मेराज के मामले मे पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। तथा नौ मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए । वही आठ मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 6 दिसंबर नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, ब्यूरो के सदस्य विनोद

कुमार सिंह ,अर्चना उपाध्याय, मौलवी अरशद ,महिला आरक्षी प्रीति दुबे ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।